दिनांक–29.09.2014 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति की 10वीं बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय मंत्रीगण / विकास आयुक्त / कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर / राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, संबंधित प्रधान सचिव / सचिव एवं सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. प्रधान सचिव, कृषि विभाग एवं कृषि रोड मैप से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव / सचिव के द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। इस प्रस्तुतीकरण में गत कृषि कैबिनेट की बैठक के निर्णय के अनुपालन तथा कृषि रोड मैप के परफॉरमेंस इंडिकेटर के प्रगति को शामिल किया गया। कृषि रोड मैप में शामिल विभागों के लिए वर्ष 2012–13 में 8687.82 करोड़ रूपये वर्ष 2013–14 में 9284.89 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2014–15 में 13581.00 करोड़ रूपये योजना उद्व्यय निर्धारित किया गया। इसके विरूद्ध विभागों के द्वारा वर्ष 2012–13 में 9434.55 करोड़ रूपये, वर्ष 2013–14 में 10631.59 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2014–15 में अगस्त माह तक 4772.00 करोड़ रूपये व्यय किये गये। कृषि रोड मैप से संबंधित विभागों के लिए वर्ष 2012–13 में कुल 67 परफॉरमेंस इंडिकेटर निर्धारित थे। इसके विरूद्ध 20 परफॉरमेंस इंडिकेटर में लक्ष्य की तुलना में 90 प्रतिशत से अधिक की उपलब्धि हुई तथा 26 परफॉरमेंस इंडिकेटर में 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि हुई। वर्ष 2013–14 में कुल 69 परफॉरमेंस इंडिकेटर निर्धारित थे, इसके विरूद्ध 22 परफॉरमेंस इंडिकेटर में 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि तथा 23 परफॉरमेंस इंडिकेटर में 50 प्रतिशत से नीचे की उपलब्धि रही।

2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग के द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.01.2014 को कृषि कैबिनेट द्वारा समीक्षा के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में 6 जून, 2014 को मक्का के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा कम सिंचाई की आवश्यकता वाले धान प्रभेद के विकास के लिए अनुसंधान का कार्य शुरू किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 'सबौर अर्द्धजल' नाम से एक प्रभेद का भी विकास किया गया है। दोनों विश्वविद्यालयों के द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में जलवायु परिवर्तन को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीज के सुरक्षित भण्डारण के लिए शीत ताप नियंत्रित भण्डारण का निर्माण कुदरा, जिला–रोहतास में किया जा रहा है। कृषि विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए एम.आई.एस. शुरू किया गया है। माधोपुर, पूर्वी चम्पारण में इंस्टीच्युट ऑफ सुगर टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च की स्थापना के संबंध में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया है तथा समिति की अनुशंसा में कृषि कैबिनेट का अनुमोदन अपेक्षित है। कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2012–13 में 1776.92 करोड़ रूपये, वर्ष 2013–14 में 1614.86 करोड़ रूपये तथा 2014–15 में अद्यतन 470.05 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। विभाग को बीज विस्थापन दर के निर्धारित लक्ष्य गेहूँ के लिए 41% एवं धान के लिए 36% के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में धान का 40.77 प्रतिशत तथा गेहूँ का 35.73 प्रतिशत उपलब्धि रहा है। वर्ष 2014–15 में बीज विस्थापन दर की उपलब्धि शून्य है। बगीचा बचाओ के अधीन वर्ष

2013–14 में 97236 एकड़ रकबा आच्छादित किया गया तथा वर्ष 2014–15 में बगीचा बचाओ का मद इस बार कार्यान्वित नहीं हो रहा है। सघन रोपन विधि से वर्ष 2013–14 में 5295 एकड़ की उपलब्धि रही; जबकि 2014–15 में 7040 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध अद्यतन उपलब्धि 3333 एकड़ रही है। जैविक सब्जी के क्षेत्र के अधीन वर्ष 2013–14 में 35000 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 27500 एकड़ उपलब्धि रही जबकि 2014–15 में 20232 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि शून्य है। किसान समूह के गठन का वर्ष 2013–14 में 2300 के विरूद्ध 3360 उपलब्धि रही है। वर्ष 2014–15 में 5340 लक्ष्य के विरूद्ध 1237 समूह का गठन किया गया है। वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई के लिए वर्ष 2013–14 में 148093 लक्ष्य के विरूद्ध 123369 की उपलब्धि हुई जबकि वर्ष 2014–15 में 204974 लक्ष्य के विरूद्ध 24303 की उपलब्धि हुई है। जैव उर्वरक मद में वर्ष 2013–14 में 15.3 लाख एकड़ लख्य के विरूद्ध 9.47 लाख एकड़ उपलब्धि रही है। इस मद में वर्ष 2014–15 में 10.4 लाख एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध अद्यतन 5.59 लाख रूपये की उपलब्धि हुई है। गोबर/बायो गैस मद में वर्ष 2013–14 में 5 हजार लक्ष्य के विरूद्ध 939 उपलब्धि हुई है जबकि वर्ष 2014–15 में 5 हजार लक्ष्य के विरूद्ध अद्यतन उपलब्धि 25 है। वर्ष 2013–14 में पावर टिलर के लिए 5650 लक्ष्य के विरूद्ध 4293 उपलब्धि हुई, 6500 लक्ष्य के विरूद्ध 1121 उपलब्धि हुई तथा 350 कम्बाईन्ड हार्वेस्टर के विरूद्ध 261 की उपलब्धि हुई। वर्ष 2014–15 में पावर टिलर, जीरो टिलेज एवं कम्बाईन्ड हार्वेस्टर के लिए क्रमशः 7500, 6000 एवं 350 लक्ष्य निर्धारित है परंतु उपलब्धि शून्य है। गेहूँ की श्रीविधि के लिए वर्ष 2013–14 में 224375 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 219902 एकड़ उपलब्धि हुई। गेहूँ के श्री विधि के गैर प्रत्यक्षण मद में 5 लाख एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 3.77 लाख एकड़ उपलब्धि हुई। वर्ष 2013–14 में श्री विधि से धान की खेती के प्रत्यक्षण के 5 लाख एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 4.60 लाख एकड़ रही है तथा गैर प्रत्यक्षण मद में 20 लाख एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 10.53 लाख एकड़ उपलब्धि हुई है। वर्ष 2014–15 में प्रत्यक्षण मद में 5 लाख एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 4.84 लाख एकड़ उपलब्धि हुई। गैर प्रत्यक्षण मद में 20 लाख एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 9.21 लाख एकड़ की उपलब्धि हुई है। गेहूँ से संबंधित श्री विधि तथा जीरो टिलेज रबी से संबंधित है अतः उपलब्धि शून्य है। दक्षिण बिहार में मक्का की खेती के लिए वर्ष 2013–14 में 1.5 लाख एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 1.45 लाख एकड़ उपलब्धि हुई जबकि 2014–15 में 1.50 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 62 हजार 753 एकड़ की उपलब्धि हुई है। मेड पर अरहर की खेती के लिए वर्ष 2013–14 में 15625 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 14 हजार 403 एकड़ उपलब्धि रही जबकि 2014–15 में 15843 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 15089 एकड़ की उपलब्धि हुई है। फसल सघनता के मद में वर्ष 2014–15 के लिए 165 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण पर समीक्षा के क्रम में निम्न निर्णय लिये गये/निदेश दिया गया :–

2.1 विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के अनुरूप माधोपुर, पूर्वी चम्पारण में कार्यरत क्षेत्रीय शोध संस्थान को आधुनिक गन्ना अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय तथा इस केन्द्र का नामकरण इंस्टीच्युट ऑफ सुगर

टेक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च रखा जाय। यह संस्थान राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

2.2 कम सिंचाई की आवश्यकता वाले विकसित धान प्रभेद का बीज उत्पादन का कार्य शुरू किया जाय।

2.3 जीरो टिलेज तथा गोबर गैस के लिए वर्ष 2013–14 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 50 प्रतिशत से भी कम है। इन मदों में अनुदान दर पर्याप्त नहीं होने के कारण किसानों मे इनके प्रति अधिक रूझान नहीं है। इस संबंध में पूर्ण विचारित प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

2.4 कृषि यांत्रिकरण के लिए लगाये गये मेले में बाजार दर से अधिक मूल्य पर यंत्र बिक्री को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

(कार्रवाई – कृषि विभाग)

3. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं में यह व्यवस्था की गयी है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान का लाभ बैंक से ऋण लेकर योजना को लागू करने के साथ–साथ अपने लागत से योजनाओं को लागू करने वाले लाभार्थियों को भी मिल सके। तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए आई0आई0टी0, खड़गपुर में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस विभाग के द्वारा वर्ष 2012–13 में 325.04 करोड़ रूपये वर्ष 2013–14 में 152.56 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2014–15 में 12.53 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। विभाग के लिए निर्धारित परफॉरमेंस इंडिकेटर में से कृत्रिम गर्भाधान के लिए 50 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 2013–14 में 24.14 लाख उलपब्धि हुई तथा 2014–15 में 50 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 8.88 लाख की उपलब्धि हुई है। पशु के टिकाकरण के लिए वर्ष 2013–14 में 350 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 147.42 लाख उपलब्धि हुई जबकि वर्ष 2014–15 में 340 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 20 लाख की उपलब्धि हुई है। जीविकोपार्जन के लिए बकरी वितरण के लिए वर्ष 2013–14 में 4 लाख परिवार तथा वर्ष 2014–15 में 6 लाख परिवार के विरूद्ध उपलब्धि शून्य है। मुर्गी वितरण हेतु वर्ष 2013–14 में 9 लाख लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 20 हजार परिवार तथा वर्ष 2014–15 में 14.95 लाख परिवार के लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 12871 हुई है। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार के लिए वर्ष 2013–14 में 22.60 लाख लीटर/प्रतिदिन के विरूद्ध 25.50 लाख लीटर प्रतिदिन उपलब्धि हुई है। वर्ष 2014–15 के लिए 13.50 लाख लीटर प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित है किन्तु उपलब्धि शून्य है। नये दुग्ध उत्पादक समितियों के गठन के लिए वर्ष 2013–14 में 16400 के लक्ष्य के विरूद्ध 16563 की उपलब्धि हुई तथा वर्ष 2014–15 में 2145 लक्ष्य के विरूद्ध 549 की उपलब्धि हुई है। दुग्ध संग्रहण के लिए 17.25 लाख किलो0 प्रतिदिन लक्ष्य के विरूद्ध 18.90 लाख किलो0 प्रतिदिन की उलपब्धि हुई। वर्ष 2014–15 में 8.26 लाख किलो0 प्रतिदिन लक्ष्य के विरूद्ध 17.1 लाख किलो0 प्रतिदिन की उपलब्धि हुई है। मत्स्य हैचरियों के निर्माण के लिए वर्ष 2013– 14 में 50 लक्ष्य के विरूद्ध 47 की उपलब्धि हुई तथा वर्ष 2014–15 में 63 लक्ष्य के विरूद्ध शून्य उपलब्धि हुई। आर्द्र जल कृषि विकास के लिए वर्ष 2013–14 में 900 हे0 लक्ष्य के विरूद्ध 510.31 एकड़ की उपलब्धि हुई जबकि वर्ष 2014–15 में 1389.69 हे0 लक्ष्य के विरूद्ध 71.06 हे0 की उपलब्धि हुई है। तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 2013–14 में

निर्धारित लक्ष्य 1800 हे0 के विरूद्ध उपलब्धि 22580 हे0 हुई जबकि वर्ष 2014–15 में 3574.20 हे0 की लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 142.65 हे0 रहा है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा प्रस्तुतीकरण के समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिये गये :–

3.1 पशुपालकों / मत्स्यपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को राज्य स्तर पर एक ही बैंक में रखने से योजना कार्यान्वियन में कठिनाई को देखते हुये राशि को आवश्यकतानुसार अलग–अलग बैंकों में स्थानीय स्तर पर रखने तथा शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

3.2 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को एक कार्यपालक अभियंता तथा एक सहायक अभियंता की सेवा प्रदान की जायेगी।

3.3 वर्ष 2013–14 में योजना राशि के व्यय नहीं होने की जिम्मेवारी तय की जायेगी।

3.4 कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन बाछा / बाछी के जन्म के तीन महीने तक जिंदा रहने के बाद सहायता राशि कार्यान्वियन एजेंसी को दी जाती है। इस शर्त के कारण बार–बार निविदा के बाद भी एजेंसी कार्य करने की इच्छुक नहीं है। इस प्रावधान को संशोधित करते हुये स्वस्थ बच्चा के जन्म के आधार पर सहायता राशि का निर्धारण किया जा सकता है। इस सबंध मे पूर्ण विचारित प्रस्ताव पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा तथा राज्य सरकार की सहमति शीध्र प्राप्त की जायेगी।

3.5 पशु टीकाकरण के लिए केन्द्रीय योजना में बिहार को शामिल किया गया है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए विभाग द्वारा कारगर कार्य योजना तैयार किया जायेगा तथा इसे लागू किया जायेगा।

3.6 मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं में यह व्यवस्था की गयी है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान का लाभ बैंक से ऋण लेकर योजना को लागू करने के साथ–साथ अपने लागत से योजनाओं को लागू करने वाले लाभार्थियों को भी मिल सके।

(कार्रवाई – पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)

4. बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा भंडारण क्षमता में वृद्धि नहीं होने के संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा यह सूचना दी गई है कि जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन उपलब्धता के लिए कृषि विभाग से अनुरोध किया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में 415.94 करोड़ रूपये, वर्ष 2013–14 में 409.89 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2014–15 में 74.82 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। सहकारिता विभाग को वर्ष 2013–14 में पैक्स / व्यापार मंडल के माध्यम से भंडारण क्षमता में विस्तार के लिए 4.692 लाख मि० टन लक्ष्य के विरूद्ध 3.881 लाख मि० टन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 2.011 लाख मि० टन निर्माणाधीन है। वर्ष 2014–15 में 3.26 लाख मि० टन लक्ष्य के विरूद्ध 0.216 मि० टन पूर्ण हो गया है तथा 2.117 लाख मि० टन निर्माणाधीन है। बिहार राज्य भंडार निगम के माध्यम से वर्ष 2013–14 में 3.60 लाख मि० टन लक्ष्य के विरूद्ध 2 लाख मि० टन का कार्य प्रारंभ हुआ है तथा 1.6 लाख मि० टन लक्ष्य का कार्यादेश प्रक्रिया में है। वर्ष 2014–15 में 5.60 लाख मि० टन लक्ष्य के विरूद्ध 2 लाख मि० टन का कार्य प्रारंभ हुआ

है तथा 1.60 लाख मि० टन का कार्यादेश प्रक्रिया में है। गोदामों के निर्माण का लक्ष्य वर्ष 2014–15 में 21 के विरूद्ध 07 में कार्य आरंभ हो चुका है एवं 08 का कार्यादेश प्रक्रिया में है। चावल मील–सह–गैसी फायर के लिए वर्ष 2013–14 में निर्धारित 149 लक्ष्य के विरूद्ध 153 योजना पूर्ण की गई तथा 99 योजना निर्माणाधीन है। वर्ष 2014–15 में 66 लक्ष्य के विरूद्ध 1 योजना पूर्ण की गई तथा 113 योजनाएँ निर्माणाधीन है। सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के क्रम में निम्न निदेश दिये गये:—

4.1 पैक्स द्वारा गोदाम निर्माण के लिए स्थल का चयन पंचायत मुख्यालय/सबसे अधिक आबादी वाले गॉव में किया जाय। पैक्स द्वारा गोदाम निर्माण के लिए स्थल के चयन/गोदाम का ऑनरशिप आदि महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर एक समग्र दिशा–निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा तैयार किया जाय।

(कार्रवाई – सहकारिता विभाग)

5. पूर्वी गंडक नहर के विस्तार की योजना के गुणवत्ता के सुधार के लिए 46 पैकेज में से 7 पैकेज के कार्यो की त्रुटियों का निराकरण किया गया है। 18 पैकेज में सुधार अपेक्षित नहीं है। शेष 21 पैकेज में सुधारात्मक कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2013–14 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम उपलब्धि के संबंध में जल संसाधन विभाग का मानना है कि अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन/जलजमाव से मुक्ति का लक्ष्य संभाग्यता से अधिक है। अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन के लिए अलग से प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। दुर्गावती सिंचाई योजना के पुर्नस्थापन का कार्य 31.03.2014 तक निर्धारित था। विभाग द्वारा दुर्गावती जलाशय योजना के अंतर्गत रीवर को क्लोज कर दिया गया है। दुर्गावती जलाशय के अंतर्गत नया आउटलेट का सील लेवल 114.90 है एवं वर्तमान में दुर्गावती जलाशय में 114.80 लेवल तक पानी का भंडारण हुआ है। नदी तटबंध/नहरो के तटबंध पर वृक्षारोपण संबंधी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए भारतीय मानक विशिष्टि पहले से निर्धारित है तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग, भारत सरकार के स्तर से निर्धारित तटबंध मैन्युअल में इस तरह के प्रावधान पहले से मौजूद है। जल संसाधन विभाग के द्वारा वर्ष 2012–13 में 1780.67 करोड़ रूपये, वर्ष 2013–14 में 1622.82 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2014–15 में अद्यतन 343.08 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। जल संसाधन विभाग को अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए वर्ष 2013–14 में 120778 हे० लक्ष्य के विरूद्ध 7850 हे० उपलब्धि हुई है। वर्ष 2014–15 में 135754 हे० लक्ष्य है।

जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रस्तुतीकरण के क्रम में निम्न निदेश दिये गये:—

5.1 नहरों तथा नदियों के तटबंध पर बाँस लगाया जाय।

5.2 नहर पर अतिक्रमण एवं रूकावट को जिला प्रशासन के सहयोग से तुरंत हटाया जाय।

(कार्रवाई – जल संसाधन विभाग)

6. लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा वर्ष 2013–14 के अंत में बिहार शताब्दी नीजी नलकूप योजना की शुरूआत की गई, फलतः उस वित्तीय वर्ष में प्रगति शून्य रही है। सामुदायिक नलकूपों में नबार्ड फेज–11 के अंतर्गत 2740 नये नलकूप के उर्जान्वियन के लिए बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी को 108.945 करोड़ रूपये दिया गया है। 1077 नलकूप

चालू हो गया है तथा शेष पर कार्य जारी है। नबार्ड फेज–11 के अंतर्गत नये उर्जान्वित 516 नलकूप को शीघ्र चालू किया जायेगा। 377 नलकूप जिसका नया उर्जान्वयन हुआ है, उसे लघु जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित होना है। नबार्ड फेज–11 के सभी नलकूपों को 2014 तक उर्जान्वित कर चालू कराने का लक्ष्य है। नबार्ड फेज–8 के 1551 नलकूपों को सितम्बर 2014 तक उर्जान्वित करने का लक्ष्य है 192 अदद चालू है। लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा वर्ष 2012–13 में 182.74 करोड़ रूपये वर्ष 2013–14 में 248.07 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2014–15 में 113.37 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। इस विभाग को सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए वर्ष 2013–14 में 4.31 लाख हे० का लक्ष्य निर्धारित था जिसके विरूद्ध 59000 हे० की उपलब्धि हुई। वर्ष 2014–15 में 5.56 लाख हे० लक्ष्य के विरूद्ध 23000 हे० की उपलब्धि हुई। वर्ष 2013–14 में सिंचाई क्षमता के पुर्नस्थापन के लिए 27950 हे० लक्ष्य के विरूद्ध 13600 हे० की उपलब्धि हुई तथा वर्ष 2014–15 में 1.19 लाख हे० लक्ष्य के विरूद्ध 47440 हे० की उपलब्धि हुई। बिहार शताब्दी नीजी नलकूप योजना के अधीन वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में उपलब्धि शून्य है। वर्ष 20114–15 के लिए 105030 नलकूप का लक्ष्य रखा गया है। नया सामुदायिक नलकूप योजना के अधीन वर्ष 2013–14 में 1905 लक्ष्य के विरूद्ध 504 की उपलब्धि हुई तथा वर्ष 2014–15 में 3118 लक्ष्य रखा गया है। आहर एवं पाईन के लिए वर्ष 2013–14 में 27500 हे० लक्ष्य के विरूद्ध 38800 हे० उपलब्धि हुई तथा वर्ष 2014–15 में 1.04 लाख हे० लक्ष्य के विरूद्ध 0.14 लाख हे० की उपलब्धि हुई। लघु जल संसाधन विभाग के प्रस्तुतीकरण के क्रम में निम्न निदेश दिये गये:–

6.1 शताब्दी निजी नलकूप योजना का विस्तार सभी प्रखंडों में किया जाय।

6.2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से नलकूप निर्माण के लिए एक विस्तृत योजना बनायी जाय।

6.3 सरकारी नलकूप को लीज पर देकर परिचालन करने की योजना बनायी जाय।

6.4 आरा में जिन सरकारी नलकूपों का स्वामीत्व किसानों को दिया गया है, वहाँ पानी का मूल्य/किराया विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय।

6.5 सिंचाई क्षमता के नये सृजन से संबंधित पूर्ण सूचना (क्षेत्र/स्थल/योजना आदि) विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

(कार्रवाई – लघु जल संसाधन विभाग)

7. पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के क्रम में बताया गया कि वृक्ष संरक्षण योजना जारी की जा चुकी है। डॉल्फिन शोध केन्द्र के लिए पटना विश्वविद्यालय से जमीन का आवटन तथा लीज लंबित है। कृषि वानिकी के लाभुकों की सूची को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। राज्य में वृक्ष आच्छादन 12.86 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। इस विभाग के द्वारा वर्ष 2012–13 में 92.41 करोड़ रूपये वर्ष 2013–14 में 88.03 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2014–15 में 111.76 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। कृषि रोड मैप के परफॉरमेंस इंडिकेटर के तहत वर्ष 2013–14 में 428.97 लाख वृक्ष के लक्ष्य के विरूद्ध 449.95 लाख वृक्ष लगाये गये है तथा वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित लक्ष्य 553.93 लाख के विरूद्ध 214.79 लाख वृक्ष लगाये गये है। वन क्षेत्र में जलछाजन के विकास के लिए वर्ष 2013–14 मे निर्धारित लक्ष्य 65660 हे0 के विरूद्ध 48005.66 हे0 की उपलब्धि हुई तथा वर्ष 2014–15 57654 हे0 लक्ष्य के

विरूद्ध 141.35 हे0 की उपलब्धि हुई। नदी तटबंध एव नहर के किनारे वृक्षारोपण के लिए वर्ष 2013–14 में निर्धारित लक्ष्य 1682 कि0मी0 के विरूद्ध उपलब्धि 980.5 कि0मी0 हुई तथा वर्ष 2014–15 में 3055 कि0मी0 के विरूद्ध 6.71 कि0मी0 की उपलब्धि हुई है। कृषि वानिकी के अधीन वर्ष 2013–14 में 110.41 लाख वृक्ष की तुलना में 101.71 लाख वृक्ष लगाये गये तथा वर्ष 2014–15 में 59.29 लाख वृक्ष की तुलना में 63.26 लाख वृक्ष लगाये गये। वृक्ष संरक्षण योजना की उपलब्धि वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में शून्य है।

8. ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि पटना जिला के नौबतपुर प्रखण्ड में डेडीकेटेड फीडर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसे दिसम्बर, 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसी तरह की परियोजना अन्य प्रखण्डों के लिए भी विचार किया जा रहा है। घरेलु विद्युत आपूर्ति सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु रोस्टर निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 15 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। माननीय सांसद एवं विधायक से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत मानक प्राक्कलन के अनुरूप जिला योजना पदाधिकारी/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से राशि प्राप्त की जा रही है। इस मद में अब तक 5787 ट्रांसफर्मर लगाये जा चुके है। ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में 1194.03 करोड़ वर्ष 2013–14 में 2604.91 करोड़ रूपये वर्ष 2014–15 में 1375.75 करोड रूपये व्यय किया गया है। ऊर्जा विभाग को निर्धारित परफॉरमेंस इंडिकेटर के अधीन वर्ष 2013–14 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली की औसतन उपलब्धता 1000 मेगावाट के विरूद्ध 920 मेगावाट की उपलब्धि हुई तथा वर्ष 2014–15 में 1300 मेगावाट के लिए 1000 मेगावाट की उपलब्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में के0भी विद्युत उपकेन्द्र के लिए वर्ष 2013–14 में निर्धारित लक्ष्य 52 के विरूद्ध उपलब्धि 38 हुई तथा वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्य 75 के विरूद्ध उपलब्धि 16 हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में 11 के0भी0 नये लाइन के निर्माण के लिए वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित लक्ष्य 6000 कि0मी0 के विरूद्ध उपलब्धि 5787.55 कि0मी0 हुई तथा वर्ष 2014–15 में 12000 कि0मी0 लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 1052.94 कि0मी0 हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में वितरण ट्रांसफर्मर की क्षमता में वृद्धि के लिए वर्ष 2013–14 में निर्धारित लक्ष्य 244 एम0भी0ए0 के विरूद्ध उपलब्धि 344.77 एम0भी0ए0 तथा वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्य 750 एम0भी0ए0 के विरूद्ध उपलब्धि 366.62 एम0भी0ए0 हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में पावर ट्रांसफर्मर की क्षमता में वृद्धि के लिए वर्ष 2013–14 में निर्धारित लक्ष्य 310 एम0भी0ए0 के विरूद्ध उपलब्धि 660.75 एम0भी0ए0 तथा वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्य 1241 एम0भी0ए0 के विरूद्ध उपलब्धि 441.55 एम0भी0ए0 हुई है। सौर ऊर्जान्वित निजी नलकूपों के लिए वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित लक्ष्य 500 के विरूद्ध उपलब्धि 250 हुई है तथा वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित लक्ष्य 600 के विरूद्ध उपलब्धि 300 हुई है। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के क्रम में निम्न निदेश दिये गयेः–

8.1 शहरी क्षेत्र के गरीब को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए योजना बनायी जाय।

8.2 एम.एल.ए./एम.पी. की अनुशंसा पर योजना का कार्यान्वयन तत्परता से किया जाय।

8.3 फ्रेंचाइजी द्वारा निहित स्वार्थवश छापा पर अंकुश लगाया जाय।

9. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि कृषि कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुल निर्माण के साथ पहुंच पथ बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अन्तर्गत निर्मित पुलों के पहुंच पथ के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। 15 दिनों के अंदर सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जायेगा। ग्रामीण विकास विभाग से राशि प्राप्त होने पर संबंधित योजनाओं का कार्यान्वियन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में 1790.99 करोड़ रूपये, वर्ष 2013–14 में 1718.20 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 में 2450.55 करोड़ रूपये व्यय किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग को निर्धारित परफॉरमेंस इंडिकेटर के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना में पथ निर्माण के लिए वर्ष 2013–14 में 3180 कि0मी0 लक्ष्य के विरूद्ध 2955.26 कि0मी0 तथा वर्ष 2014–15 में 2300 कि0मी0 लक्ष्य के विरूद्ध 466.65 कि0मी0 की उपलब्धि हुई है। इसी योजना में वर्ष 2014–15 में 2400 मी0 पुल के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 1600 मी0 की उपलब्धि हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन वर्ष 2013–14 में पथ निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य 9000 कि0मी0 के विरूद्ध उपलब्धि 3549.25 कि0मी0 रही तथा इसी योजना के अधीन पुल निर्माण के लिए वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्य 600 मी0 के विरूद्ध उपलब्धि 66.80 मी0 रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रस्तुतीकरण के क्रम में निम्न निदेश दिये गयेः–

9.1 ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क निर्माण योजनाओं में मनरेगा निधि का उपयोग किया जाय। ग्रामीण कार्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक संयुक्त कार्य को बनाया जाय।

9.2 कोर नेटवर्क में जो गाँव छूट गये हैं, उनके लिए सर्वे कराया जाय।

10. उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नई नीति पर कार्रवाई की जा रही है।

11. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि रक्षा मंत्रालय से हवाई सर्वेक्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की जा रही है। विभिन्न मंत्रालयों से स्वीकृति की आवश्यकता के कारण प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है। इस विभाग के द्वारा वर्ष 2012–13 में 69.66 करोड़ रूपये वर्ष 2013–14 में 51.74 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2014–15 में 23.71 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। विभाग को निर्धारित परफॉरमेंस इंडिकेटर के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में 15594 राजस्व ग्राम के लक्ष्य के विरूद्ध 5663 राजस्व गॉव का हवाई फोटोग्राफी किया गया। द्वितीय चरण में 15594 राजस्व गॉव के ग्राउण्ड कन्ट्रोल प्वाइट का निर्माण कार्य पूरा किया गया। वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से सुरक्षा जॉच हेतु प्री–प्रोसेसिंग का कार्य शुरू किया गया है। 508 राजस्व ग्राम का री–सर्वे मानचित्र तैयार किया गया है। खानापुरी के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में नालन्दा जिला के 38 राजस्व ग्राम का खानापुरी कार्य समाप्त हो गया है तथा 7 राजस्व ग्राम का प्रारूप प्रकाशित किया गया है। बेगुसराय जिला के 41 राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्य समाप्त किया गया है। खगड़िया जिला के 68 राजस्व ग्राम में किस्तवार कार्य समाप्त किया गया तथा 15 राजस्व ग्राम में किस्तावर कार्य प्रगति पर है। इस जिला के 10 राजस्व ग्राम में खानापुरी चल रहा है। लखीसराय जिला के 3 राजस्व ग्राम तथा शेखपुरा जिला के 4 राजस्व ग्राम में किस्तवार समाप्त हुआ है तथा खानापुरी का कार्य प्रारंभ हुआ

है। वर्ष 2013–14 में 10 हजार 531 अंतिम प्रकाशन लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 5 ग्राम की हुइ है।

12. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को वाणिज्यिक बैंकों से सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो गया। अतः राज्य सरकार से महंगे दर पर ऋण की विमुक्ति नहीं की गयी। वर्ष 2013–14 में भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। अतः अतिरिक्त खाद्यान्न बढ़े हुये दर पर खरीदने की आवश्यकता नहीं हुई तथा राशि निगम को उपलब्ध नहीं कराने की आवश्यकता हुई। वर्ष 2013–14 में राज्य खाद्य निगम के लिए 855 गोदाम के लक्ष्य के विरूद्ध 145 गोदाम का निर्माण कार्य पूरा किया गया। वर्ष 2013–14 में धान अधिप्राप्ति पर बोनस स्वीकृत किया गया जिसके फलस्वरूप लक्ष्य 10 लाख मे0टन के लिए 14.30 लाख मे0टन की उपलब्धि हुई। इस विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 मे 1309.68 करोड़ रूपये वर्ष 2013–14 में 962.11 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2014–15 में 2.84 कराड़ रूपये व्यय किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को निर्धारित परफॉरमेंस इंडिकेटर में से भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि के लिए वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित लक्ष्य 10.82 लाख मे0टन के विरूद्ध उपलब्धि 0.975 लाख मे0टन रही तथा वर्ष 2014–15 में 11.325 लाख मे0टन लक्ष्य के विरूद्ध 0.97 लाख मे0टन की उपलब्धि हुई है। अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य अधिक होने के कारण गेहूँ की अधिप्राप्ति नहीं हो सकी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्तुतीकरण के क्रम में निम्न निदेश दिये गयेः–

12.1 बिना जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित किये गोदाम निर्माण की योजना नहीं ली जाय। स्वीकृत योजनाओं में जहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।

12.2 धान आदि प्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख मे० टन रखा जाय।

13. गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि गत कृषि कैबिनेट की बैठक के अनुरूप पेराई सत्र 2012–13 के अंतर्गत चिनी मिलों के द्वारा किसानों को 99.41 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि का भुगतान कराया जा रहा है। गन्ना से चिनी की रिकभरी के प्रतिशत के संबंध में दिये गये निदेश के अनुपालन में बताया गया कि प्रोत्साहन पैकेज 2006 के अनुरूप चिनी मिलों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही जी0पी0एस0 के माध्यम से ही ईख आच्छादित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उसके आधार पर चालान वितरण हेतु कैलेण्डर बनाया गया है। इस विभाग के द्वारा वर्ष 2012–13 में 66.97 करोड़ रूपये वर्ष 2013–14 में 75.60 करोड़ रूपये तथा 2014–15 में 0.28 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। इस विभाग के लिए निर्धारित परफॉरमेंस इंडिकेटर के अधीन अंतरवर्ती फसल के लिए वर्ष 2013–14 में निर्धारित लक्ष्य 45 हजार हे0 के विरूद्ध 34 हजार 500 हे0 की उपलब्धि हुई तथा वर्ष 2014–15 में 55 हजार के विरूद्ध उपलब्धि शून्य है। बीज वितरण के लिए वर्ष 2013–14 में निर्धारित लक्ष्य 16.25 लाख क्विं0 के विरूद्ध उपलब्धि 14.50 लाख क्विं0 हुई है तथा वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित लक्ष्य 28.57 लाख क्विं के विरूद्ध अद्यतन उपलब्धि शून्य है। गन्ना उद्योग विभाग के प्रस्तुतीकरण के क्रम में निम्न निदेश दिये गयेः–

2.14

13.1 किसानों को बकाया भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।

13.2 सरकारी नलकूप चीनी मिल के प्रबंधन को रख रखाव तथा परिचालन के लिए दिया जाय।

13.3 चीनी की रिकवरी दर का लक्ष्य 10 प्रतिशत रखा जाय।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी विभागों को निम्न बिन्दु पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया :-

1. अनुपालन बिन्दु/कृत कार्रवाई निश्चयात्मक होना चाहिए।
2. अन्तर्विभागीय समन्वय को बेहतर किया जाय।
3. एमपीलैड योजना को तुरंत शुरू किया जाय तथा शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कराया जाय।
4. उद्व्यय के शत-प्रतिशत व्यय की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय। विभागों के द्वारा कार्रवाई में तेजी लायी जाय।

3/12/14
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक – मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद-05/2011.......485/पटना-15, दिनांक 4/12/2014

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, वित्त विभाग/कृषि विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/उद्योग विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/सहकारिता विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/योजना एवं विकास विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/14
(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद-05/2011.......185/पटना-15, दिनांक 4/12, 2014

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/14
(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद-05/2011.......1185/पटना-15, दिनांक 4/12, 2014

प्रतिलिपि – माननीय अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/14
(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक – मं०मं०–01 / मंत्रिपरिषद–05 / 2011......1485 / पटना–15, दिनांक 4/12/ 2014

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग / कृषि विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / गन्ना उद्योग विभाग / उद्योग विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग / सहकारिता विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / ऊर्जा विभाग / योजना एवं विकास विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / सूचना प्रावैधिकी विभाग / पंचायती राज विभाग / पर्यावरण एवं वन विभाग / शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार द्विवेदी)
सरकार के विशेष सचिव